न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 64/2020
आमीन पुत्र बुद्धि जाति मेव निवासी सामदीका तहसील पहाडी (भरतपुर) प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं भूप्रबन्ध अधिकारी तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. अयूब
3. उमर
4. दीनू
5. हाकम} नवीरा हुसैना
6. हिम्मत पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी सामदीका तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

7. जसमत
8. साय खाँ पिसरान बुद्धि जाति मेव निवासी सामदीका तहसील पहाडी

तरतीवी पक्षकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री मनोज कुमार शर्मा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8

दिनांक :—14/09/2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111, 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 309/1/0.13 हाल खसरा नम्बर 228/0.13 है0 व खसरा नम्बर 309/2/0.25 हाल खसरा नम्बर 229/0.25 हैक्टर बांके ग्राम सामदीका तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 229/0.25 के प्रार्थी व तरतीवी पक्षकार तथा आराजी खसरा नम्बर 228/0.13 के अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। विवादित आराजी पूर्व में एक ही खसरा नम्बर 309 थी जिसके बाद मिन नम्बर आराजी खसरा नम्बर 309/1/0.13 तथा खसरा नम्बर 309/2/0.25 बना दिये गये और सैटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 309/1/0.13 का नया खसरा नम्बर 228/0.13 तथा 309/2/0.25 का नया नम्बर 229/0.25 बना

उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

दिया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित पक्षकार नं0 7 व 8 बाबत प्रार्थना पत्र दायरी न्यायालय श्रीमान क समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है इसलिए उन्हे तरतीवी पक्षकार बनाया गया है। जिनके हित व अधिकार प्रार्थी के समान है। प्रार्थी व तरतीवी पक्षकार अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 229/0.25 पर पूर्व दिशा की ओर तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 खसरा नम्बर 228/0.13 पर पश्चिम दिशा की ओर काफी अरसे से निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर इस स्थिति में काबिज है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना मौका व कब्जा का मुआयना किये विवादित आराजी की राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरमीम कायम कर दी गई जो कि मौका व कब्जा व कानून के खिलाफ है। जिसे प्रार्थी व तरतीवी पक्षकार को काफी क्षति हो रही है। प्रार्थी को गलत तरमीम का नकल रिकॉर्ड लेने पर हुआ जिसकी शुद्धि बाबत अप्रार्थी संख्या 1 के यहाँ पेश हुआ लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा शुद्धि करने से इन्कार कर दिया । इसलिए प्रार्थी न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रिकॉर्ड में की गई गलत तरमीम को शुद्ध कर मौका व कब्जा अनुसार खसरा नम्बर 229/0.25 को पूर्व दिशा की ओर तथा खसरा नम्बर 228/0.13 को पश्चिम दिशा की ओर राजस्व रिकॉर्ड में सही तरमीम करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया मौका पर्चा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि आदेश की पालना में ग्राम सामदीका के आराजी खसरा नम्बर 228/0.13, 229/0.25 के मौके पर पहुंचा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी खसरा नम्बर 228 पूर्व दिशा की तरफ बना हुआ है तथा अयूब, उम्मर, दीनू, हाकम दोहित्रा हुसैना हिस्सा 1/2 हिम्मत पुत्र हुसैना हिस्सा 1/2 जाति मेव निवासी सामदीका खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा खसरा नम्बर 229 पश्चिम दिशा की तरफ बना हुआ है तथा आमीन, जसमत, सायखां पिसरान बुद्धि जाति मेव निवासी सामदीका खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु मौके पर जाकर आराजी खसरा नम्बर 228/0.13, 229/0.25 की स्थिति देखी गई तो उसमें पूर्व दिशा की ओर आमीन, जसमल, सायखां पिसरान बुद्धि जाति मेव निवासी सामदीका 0.25 हैक्टर रकबा पर काबिज है तथा पश्चिम दिशा की तरफ अयूब, उम्मर, दीनू, हाकम दोहित्रा हुसैना हिस्सा 1/2 , हिम्मत पुत्र हुसैना हिस्सा 1/2 जाति मेव निवासी सामदीका 0.13 हैक्टर रकबा पर काबिज काश्त है। मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा उपस्थित व्यक्तियों के अंगूठा , हस्ताक्षर कराये गये।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नही करने के कारण जबाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका पर्चा रिपोर्ट/जबाब तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण नक्शा शुद्धि का है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 229/0.25 प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी एवं खसरा नम्बर 228/0.13 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम दर्ज है। जो कि साविक खसरा संख्या 309/1/0.13 एवं साविक खसरा संख्या 309/2/0.25 से निर्मित हुये हैं। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 229/0.25 को पश्चिम की ओर एवं आराजी खसरा नम्बर 228/0.13 को पूर्व की ओर दर्शाया हुआ है। जबकि मुताबिक मौका स्थिति के पूर्व दिशा की ओर आमीन, जसमल, सायखां पिसरान बुद्धि जाति मेव निवासी सामदीका 0.25 हैक्टर रकबा पर काबिज है तथा पश्चिम दिशा की तरफ अयूब, उम्मर, दीनू, हाकम दोहित्रा हुसैना हिस्सा 1/2 , हिम्मत पुत्र हुसैना हिस्सा 1/2 जाति मेव निवासी सामदीका 0.13 हैक्टर रकबा पर काबिज काश्त है। वर्तमान नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया नक्शा निर्मित करते समय मौके का निरीक्षण नहीं किया गया और नवीन नक्शे में दोनो खसरा नम्बरो को आपस में कब्जे के विपरीत दर्शा दिया है। इस तथ्य पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। मुताबिक मौका स्थिति एवं तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 08.02.2022 के खसरा नम्बर 228/0.13 एवं खसरा नम्बर 229/0.25 को दर्शाया जावे। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 08.02.2022 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)